



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072023-247556
CG-DL-E-24072023-247556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]
No. 421]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2023/आषाढ़ 30, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2023/ASHADHA 30, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 527(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 37 और धारा 38 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001, में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 26 मार्च, 2001 को सा. आ. सं. 271 (अ.) द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 में इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या छोड़े गए कार्यों को छोड़कर संशोधन करने का निर्णय लिया है, केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र में इन मसौदा नियमों को इनके प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर सार्वजनिक टिप्पणियों हेतु प्रकाशित कर रही है।

जो भी व्यक्ति इन मसौदा नियमों के संबंध में कोई सुझाव या आपत्ति देना चाहता है, वह उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि में संयुक्त सचिव (पशु कल्याण), पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कमरा सं. 245, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 को केंद्र सरकार के विचार के लिए अग्रेषित कर सकता है।

1. शीर्षक और विस्तार - (1) इन नियमों को पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी नियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ -

- (क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;
- (ख) "पशु कल्याण संगठन" से पशुओं के कल्याण के लिए काम करने वाला एक संगठन, जो 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का 21) या उस समय के लिए लागू होने वाले कानून के तहत पंजीकृत और जिसे भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की मौजूदा नीति के अधीन मान्यता प्राप्त है, अभिप्रेत है;
- (ग) "बोर्ड" से धारा 4 के तहत स्थापित और इस अधिनियम की धारा 5क के तहत समय-समय पर पुनर्गठित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "केस संपत्ति पशु" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जब्त किया गया कोई पशु अभिप्रेत है;
- (ङ) "इन्फर्मरी" से इस अधिनियम की धारा 35(1) के अधीन राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश द्वारा विधिवत अधिसूचित एक क्षेत्र या संस्था जिसका उपयोग बेघर और/या केस संपत्ति पशुओं के उपचार, देखभाल और देखभाल के स्थान के रूप में किया जाता है, अभिप्रेत है;
- (च) "क्षेत्राधिकार पशु चिकित्सा अधिकारी" से राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र में नियोजित पशु चिकित्सक है जो किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय से डिग्री धारक है और राज्य पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत है।
- (छ) "स्थानीय प्राधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 2 (ड) के तहत परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- (ज) "एसपीसीए" से राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में विधिवत अधिसूचित किसी भी जिले में स्थापित पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी है। और इसमें पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के तहत स्थापित और कार्यरत मौजूदा एसपीसीए शामिल होंगे, अभिप्रेत है;
- (झ) "राज्य बोर्ड" से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के प्रयोजन के लिए गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड, जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में विधिवत अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है।

3. पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की स्थापना - प्रत्येक राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर राज्य के प्रत्येक जिले के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए एक सोसाइटी की स्थापना करेगी, जब तक कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की स्थापना और विनियमन) नियम 2001 के तहत ऐसी सोसाइटी पहले से ही स्थापित नहीं की गई है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की स्थापना और विनियमन) नियम 2001 के तहत अधिसूचित ऐसी सोसाइटी उनके आचरण में इन नियमों द्वारा शासित एवं संचालित होंगी।

बशर्ते कि, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर एसपीसीए को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत करवाएंगे और सोसाइटी हमेशा के लिए काम करेगी।

परन्तु राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के किसी भी जिले में 'पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसाइटी' के नाम से संचालित कोई भी गैर-सरकारी संगठन इन नियमों की अधिसूचना के साठ दिनों के भीतर अपने नाम में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

4. एसपीसीए के उपनियम-

- (1) एसपीसीए समय-समय पर बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल बायलॉज को अपनाएगा। एसपीसीए अपने उपयुक्त प्रशासन और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपनियमों को भी शामिल कर सकता है।
- (2) प्रत्येक राज्य में सभी जिला एसपीसीए के उपनियमों को संबंधित राज्य बोर्ड की वेबसाइट पर या संबंधित राज्य के पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

5. पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की प्रबंधन समिति का गठन -

- (1) सोसाइटी की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
- (क) अध्यक्ष - उपायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर, पदेन;

(ख) उपाध्यक्ष - पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, पदेन;

(ग) सचिव एवं नोडल अधिकारी - जिले का मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या जिला पशुपालन अधिकारी या कोई अन्य प्रभारी पशुपालन अधिकारी या जिस भी नाम से जाना जाता है, पदेन;

(घ) सदस्य - क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पदेन;

(ङ) सदस्य - नामित अधिकारी खाद्य सुरक्षा, पदेन;

(च) सदस्य - प्रतिनिधि, जिला वन विभाग

(छ) सदस्य - जिला मुख्यालय के शहरी स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि

(ज) सदस्य - प्रतिनिधि, जिला पंचायत

(झ) सदस्य - प्रतिनिधि, राज्य बोर्ड

(ञ) सदस्य - जिला अभियोजन अधिकारी

(ट) सदस्य - साथी पशुओं के कल्याण के लिए कार्यरत पशु कल्याण संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नामित ।

(ठ) सदस्य - बड़े पशुओं के कल्याण के लिए कार्यरत पशु कल्याण संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नामित ।

(ड) सदस्य - जिले में पशु कल्याण में लगे तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति राज्य सरकार या जिला स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नामित ।

(2) बोर्ड को किसी भी एसपीसीए की प्रबंधन समिति में एक सदस्य को नामित करने का विवेकाधिकार होगा, यदि वह चाहे तो। इसका कारण लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले प्रत्येक जिले को एसपीसीए के लिए अर्धसैनिक बल या सीमा सुरक्षा बल या सीमा पर तैनात गृह मंत्रालय के किसी अन्य व्यक्ति से एक नामांकन प्राप्त करना होगा।

6. एसपीसीए की प्रबंधन समिति का कार्यकाल - एसपीसीए की प्रबंधन समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। कार्यकाल की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण गैर-सरकारी सदस्यों के लिए नए सिरे से नामांकन करेगा।

7. एसपीसीए की उप-समितियां-

(1) प्रबंध समिति, एसपीसीए के कार्यों के निर्वहन के लिए जितनी उपसमिति वह ठीक समझे उतनी उप-समितियों का गठन कर सकती है।

(2) एक उप-समिति में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

8. एसपीसीए (सामान्य निकाय) की सदस्यता-

(1) एसपीसीए की सामान्य सभा का सदस्य बनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति पहली अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एसपीसीए के सचिव को आवेदन करेगा। सचिव, आवेदनों को पुलिस सत्यापन के अधीन रखते हुए, आवेदन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अध्यक्ष के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(2) जिले में कार्यरत कोई भी पशु कल्याण संगठन दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एसपीसीए की सदस्यता की मांग कर सकता है।

(3) सामान्य निकाय के सदस्य एसपीसीए की किसी भी गतिविधि के लिए स्वेच्छा से सहायता कर सकते हैं, जिसमें इन्फर्मरी का रखरखाव, एसपीसीए हेल्पलाइन नंबर का प्रबंधन, या सचिव द्वारा पहचानी गई ऐसी कोई अन्य गतिविधि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

9. एसपीसीए के अधिकारी और कर्मचारी: राज्य सरकार, जैसा कि आवश्यक समझे, एसपीसीए के कामकाज के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।

10. प्रत्येक जिले में इन्फर्मरीज की स्थापना-

- (1) सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रबंधन समिति के परामर्श से, एक इन्फर्मरी (ओं) की स्थापना के लिए परिसर की पहचान करेंगे, जहां जिले के बीमार या घायल, आवारा या केस संपत्ति पशुओं का इलाज और देखभाल और परित्यक्त या बूढ़े पशुओं का रखरखाव और उपचार किया जाएगा।
- (2) तत्पश्चात् ऐसे इन्फर्मरी (ओं) की अधिसूचना का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य सरकार इस तरह के प्रस्ताव की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इन्फर्मरी को अधिसूचित करेगी।
- (3) राज्य सरकार इन्फर्मरी (ओं) की स्थापना, प्रशासन और बुनियादी ढांचे के सुधार और संचालन के लिए बजट आवंटित करेगी।
- (4) अस्पताल में बड़े पशुओं, केनल, एवियरी और अन्य प्रजातियों के लिए शेड होंगे और बेघर पशुओं और केस प्रॉपर्टी पशुओं के लिए उपयुक्त आवास स्थान होगा।
- (5) इन्फर्मरी के पास घायल या बीमार जानवरों के लिए बाड़े होंगे।
- (6) सोसाइटी पशुओं को खिलाने और उनकी देखभाल करने और इन्फर्मरी परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक पशु कल्याण संगठन भी नियुक्त कर सकती है या ऐसे इन्फर्मरी को अपने स्वयं के संसाधनों से चला सकती है जिसके लिए समाज अपनी स्वयं की रसद आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) जिले के सभी पुलिस थानों को निर्देश दिया जायेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत पशुओं को इन्फर्मरी में लायें तथा उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी के अगले आदेश तक इन्फर्मरी में रखा जायेगा। इन्फर्मरी में सभी केस संपत्ति पशुओं का रिकॉर्ड एसपीसीए द्वारा बनाए रखा जाएगा।
- (8) यदि एसपीसीए द्वारा चलाए जा रही इन्फर्मरी में जगह की कमी है, तो पशुओं को पशु कल्याण संगठन, गौशाला, या पिंजरापोल, जैसा भी मामला हो, ले जाया जा सकता है।

11. जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी के कार्य- एसपीसीए की प्रबंधन समिति राज्य बोर्ड या बोर्ड द्वारा सौंपे गए निम्नलिखित एवं अन्य कार्यों का निष्पादन करेगी:

- (क) इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन या किसी अन्य कानून के अधीन दंडनीय पशु क्रूरता, जैसा भी मामला हो, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकरण को नियमित रूप से रिपोर्ट करना।
- (ख) अधिनियम और नियमों के प्रवर्तन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता एवं पशु क्रूरता के मामलों के प्रभावी अभियोजन पक्ष का समर्थन करने एवं सहायता के लिए।
- (ग) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राज्य बोर्ड और बोर्ड की सहायता और मदद के लिए।
- (घ) जिले में कार्यरत पशु कल्याण संगठनों के कार्य को बढ़ावा देना, समन्वय करना और सहयोग करना।
- (ङ) पशुओं के प्रति क्रूरता के संबंध में रिपोर्ट या सूचना प्राप्त करने के लिए, या चोट या बीमारी के कारण संकट में किसी पशु की रिपोर्ट करने के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन नंबर स्थापित करना; ऐसी हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। ऐसी हेल्पलाइन पर सभी कॉल प्राप्त की जाएंगी और एसपीसीए द्वारा उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा।
- (च) बीमार, घायल या रोगग्रस्त और बेघर पशुओं के लिए एक एम्बुलेंस सेवा संचालित करने के लिए।
- (छ) आपदा तैयारियों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता और मदद करना; पशुपालन विभाग के कर्मियों के साथ समय-समय पर प्रशिक्षण अभ्यास और कार्यक्रम आयोजित करना और आपदा स्थितियों के दौरान पशुओं के बचाव और राहत कार्यों में सहायता करना।
- (ज) जिले में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता और मदद करना।
- (झ) जिले के शिक्षण संस्थानों में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (ञ) जिले में कार्यरत सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए संवेदीकरण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का संचालन करना।

(ट) जिले में पशु कल्याण के बारे में सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों जैसे होर्डिंग्स, पोस्टरों और किसी भी अन्य माध्यम से या सार्वजनिक आउटरीच के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

(ठ) कल्याणकारी गतिविधियों जैसे आवारा पशुओं और पक्षियों के लिए पानी के कटोरे के प्रावधान के माध्यम से पशुओं के मानवीय उपचार के प्रति जनमत के गठन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना; आवारा पशुओं के लिए नामित फीडिंग जोन का निर्माण, बचाए गए साथी पशुओं को गोद लेने को बढ़ावा देना, शैक्षणिक संस्थानों में करुणा क्लब या दया क्लब का गठन और ऐसी कोई अन्य गतिविधियां जो प्रबंधन समिति द्वारा तय की जा सकती हैं।

(ड) जिले में स्थापित इन्फर्मरी या इन्फर्मरी (ओं) या पांजारापोल या पशु शरणगृह या गौशाला के संचालन और प्रबंधन में सहायता और मदद के लिए।

(ढ) पशु क्रूरता के संबंध में जिले के पुलिस थानों में दर्ज मामलों की संख्या एकत्रित करना और एसपीसीए रिकॉर्ड में प्रत्येक की स्थिति को अद्यतन करना।

12. जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की बैठकें-

(1) एसपीसीए की प्रबंधन समिति न्यूनतम नौ समिति सदस्यों की गणपूर्ति के साथ तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी,

(2) एसपीसीए के सदस्य एसपीसीए की आगामी बैठक में विचार के लिए सचिव को एजेंडा बिंदु प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्येक बैठक के लिए अंतिम एजेंडा, प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले परिचालित किया जाना चाहिए, और बैठक के कार्यवृत्त को विधिवत रिकॉर्ड और परिचालित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक बैठक में, पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्रवाई की रिपोर्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(4) वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षित खातों के साथ सचिव द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

(5) अध्यक्ष किसी भी एसपीसीए बैठक के लिए आवश्यक होने पर, सड़क परिवहन अधिकारी, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधियों सहित उचित अधिकारियों, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को आमंत्रित कर सकता है

(6) प्रबंधन समिति का कोई भी सदस्य तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एक आपातकालीन बैठक का प्रस्ताव दे सकता है; अध्यक्ष ऐसे प्रस्ताव पर प्राप्ति के सात दिनों के भीतर विचार करेगा।

बशर्ते कि, यदि आपातकालीन बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, तो अध्यक्ष प्रबंधन समिति के सदस्य को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देगा।

13. पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी हेतु निधि -

(1) एसपीसीए निम्नलिखित स्रोतों से सोसाइटी के बैंक खाते में निधियाँ प्राप्त कर सकता है:

(क) राज्य बोर्ड या भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से सहायता अनुदान;

(ख) जिला प्रशासन से सहायता अनुदान;

(ग) एसपीसीए के सामान्य निकाय की सदस्यता के लिए सदस्यता शुल्क या कोई अन्य शुल्क

(घ) किसी संस्था, संघ, कॉर्पोरेट या व्यक्ति द्वारा प्रदत्त योगदान, दान, विरासत और उपहार इत्यादि

(2) सोसाइटी के खाते चार्टर्ड एकाउंटेंट या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षित होने चाहिए। इस तरह की एक लेखा परीक्षित रिपोर्ट, लाभ और हानि खातों के साथ वार्षिक सामान्य बैठक में इसकी प्रस्तुति के लिए वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जानी चाहिए।

14. सचिव द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख -

(1) एसपीसीए के सचिव द्वारा निम्नलिखित रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए:

(क) एसपीसीए की गतिविधियों के संबंध में-

(i) एसपीसीए हेल्पलाइन नंबर के लिए लॉग बुक

(ii) लेखा पुस्तकें और लेखापरीक्षा रिपोर्ट

- (iii) एम्बुलेंस लॉग बुक
- (iv) बैठक का एजेंडा और कार्यवृत्त
- (v) कार्रवाई की गई रिपोर्ट
- (vi) वार्षिक रिपोर्ट

(ख) इन्फर्मरी के संबंध में:

- (i) इन्फर्मरी में प्रजाति वार वर्गीकृत पशुओं की संख्या का दैनिक इन्वेंटरी रिकॉर्ड,
- (ii) चौथी अनुसूची में प्रदत्त प्रारूप में, इन्फर्मरी में सभी पशुओं के रोगी रजिस्टर
- (iii) इन्फर्मरी से छोड़े / डिस्चार्ज किए गए सभी पशुओं का रिलीज रिकॉर्ड
- (iv) इन्फर्मरी में उपस्थित प्रत्येक पशु का मृत्यु प्रमाणपत्र, मरणोपरांत प्रमाणपत्र, पशु चिकित्सा रिकॉर्ड, जैसा भी मामला हो, होना चाहिए
- (v) चारा भण्डार पुस्तक
- (vi) दवाई भण्डार पुस्तक
- (vii) सामान्य भण्डार पुस्तक
- (viii) स्वयंसेवी उपस्थिति रिकॉर्ड

(2) सचिव, एसपीसीए की वार्षिक रिपोर्ट राज्य बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर मांगी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगा। राज्य में प्रत्येक एसपीसीए की वार्षिक रिपोर्ट राज्य बोर्ड की वेबसाइट या संबंधित राज्य के पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

15. पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी का विनियमन-

- (1) राज्य बोर्ड एसपीसीए की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों की समीक्षा करेगा और एसपीसीए के कार्यों के कुशल निर्वहन हेतु, प्रबंधन समिति को सुधार के निर्देश दे सकता है।
- (2) बोर्ड किसी भी एसपीसीए की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों की मांग कर सकता है और सुधारार्थ निर्देश दे सकता है या एसपीसीए की गतिविधियों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है।
- (3) एसपीसीए के कामकाज के संबंध में शिकायत राज्य बोर्ड को की जा सकती है; शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता और एसपीसीए को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, राज्य बोर्ड आवश्यक निर्देशों के साथ शिकायत का निपटान करेगा।
- (4) राज्य बोर्ड के निर्देशों के खिलाफ बोर्ड को अपील की जा सकती है; बोर्ड शिकायतकर्ता के साथ-साथ एसपीसीए के सचिव को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद, बोर्ड के सचिव द्वारा एक सकारण आदेश जारी किया जाएगा।

[फा. सं. वी-11/12/2020-प्रशासन-6]

डॉ. ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

पहली अनुसूची

[नियम 8(1)]

एसपीसीए के सामान्य निकाय की सदस्यता के लिए आवेदन

ज़िला

प्रति,

सचिव

पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी

ज़िला

विषय: एसपीसीए (जिला एसपीसीए का नाम) की सामान्य निकाय की सदस्यता के लिए आवेदन।

पूरा नाम:

पिता / माता का नाम:

जन्म की तारीख:

पेशा:

पता:.....

फ़ोन नंबर:

ईमेल आईडी:

फोटो आईडी और पता प्रमाण: ...[पैन कार्ड] ...[पासपोर्ट]...[आधार कार्ड]...[ड्राइविंग लाइसेंस]

(उपर्युक्त में से कोई भी दो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे)

यदि आवेदक अवयस्क [18 वर्ष से कम आयु का] है, तो माता-पिता या अभिभावक का विवरण और संपर्क जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिए।

इस सदस्यता के लिए आवेदन करने के कारण:

.....

क्या आवेदक किसी पशु कल्याण संगठन का सदस्य / स्वयंसेवक है: हां/नहीं

यदि हां, तो संगठन का नाम, पता और संपर्क नंबर प्रदान करें:

.....

घोषणा:

मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि-

1. मेरे द्वारा दी गई जानकारी सटीक और सत्य है
2. मेरे खिलाफ कोई प्राथमिकी या गैर-संज्ञेय रिपोर्ट लंबित नहीं है, न ही मैं इस अधिनियम के अधीन, या नियम, या पशुओं के कल्याण, बचाव या संरक्षण के लिए लागू किसी कानून में अपराध के लिए दोषी ठहराया गया / गयी हूँ,
3. मैं इस आवेदन को जमा करने के बाद पुलिस सत्यापन में सहयोग करूंगा
4. मैं पशुओं और/या उनके शरीर के अंगों के व्यापार, परिवहन, वध या किसी अन्य व्यावसायिक उपयोग से संबंधित किसी भी व्यापार, पेशे या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हूँ।
5. मुझे पशुओं और/या उनके शरीर के अंगों के व्यावसायिक उपयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्था या व्यवसाय से कोई आय, लाभ, आर्थिक या अन्यथा प्राप्त नहीं होता है।
6. मैं स्वस्थ दिमाग का हूँ और यह आवेदन अपनी इच्छा से करता हूँ।

.....
 हस्ताक्षर और पूरा नाम

तारीख:

स्थान:

दूसरी अनुसूची

[नियम 8(2)]

एसपीसीए के सामान्य निकाय में पशु कल्याण संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन

ज़िला

प्रति,

सचिव

पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी

ज़िला

विषय: एसपीसीए (ज़िला एसपीसीए का नाम) के सामान्य निकाय में पशु कल्याण संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन।

संगठन का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

(प्राधिकरण पत्र / बोर्ड संकल्प की एक प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी)

रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख:

संगठन द्वारा की गई गतिविधियाँ:

रजिस्ट्रीकृत पता:

आवेदक संगठन द्वारा संचालित आश्रय/अभ्यारण्य का पता:

.....

दूरभाष संख्या:

ईमेल आईडी:

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण: ...[ट्रस्ट डीड]...[रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र]..[पैन कार्ड]

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटो आईडी और पता प्रमाण: ...[पैन कार्ड] ...[पासपोर्ट]...[आधार कार्ड]...[ड्राइविंग लाइसेंस]

(उपर्युक्त में से कोई भी दो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे)

इस सदस्यता के लिए आवेदन करने के कारण:

.....

.....

.....

क्या आवेदक भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड या राज्य पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है: हां/नहीं

यदि हां, तो मान्यता प्रमाण पत्र की एक प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।

घोषणा:

मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि-

1. मैं आवेदक संगठन का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ।
2. आवेदक संगठन या उसके बोर्ड के किसी भी सदस्य के खिलाफ इस अधिनियम, इसके अंतर्गत आने वाले नियमों, या पशुओं के कल्याण, बचाव या संरक्षण के लिए लागू किसी भी कानून के अधीन कोई प्राथमिकी या गैर-संज्ञेय रिपोर्ट लंबित नहीं है।
3. आवेदक संगठन इस आवेदन को जमा करने के बाद पुलिस सत्यापन में सहयोग करेगा।
4. आवेदक संगठन या उसके बोर्ड के सदस्यों में से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार, परिवहन, वध या पशुओं और/या उनके शरीर के अंगों के किसी अन्य व्यावसायिक उपयोग से संबंधित किसी भी व्यापार, पेशे या व्यवसाय से जुड़ा नहीं है।
5. आवेदक संगठन या उसके बोर्ड के किसी भी सदस्य को पशुओं और/या उनके शरीर के अंगों के व्यावसायिक उपयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्थान या व्यवसाय से कोई आय, लाभ, या तो मौद्रिक या अन्यथा प्राप्त नहीं होता है।

.....
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और पूरा नाम

तारीख:

स्थान:

तीसरी अनुसूची**[नियम 12(6)]****आपात बैठक का प्रस्ताव**

प्रति,

सचिव

पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी

ज़िला _____

जबकि, निम्नलिखित अत्यावश्यक मुद्दों पर विचार-विमर्श और समाधान के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की एक आपात बैठक का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी द्वारा रखा गया है:

उपरोक्त एजेंडे का समर्थन करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज, यदि कोई हो, इसके साथ संलग्न हैं। मैं एसपीसीए के कार्यों के कुशल निर्वहन को सक्षम करने के लिए बैठक को तत्काल बुलाने का अनुरोध करता हूँ।

आपातकालीन बैठक के बदले में, उपर्युक्त मुद्दों के समाधान के लिए अध्यक्ष के साथ एक व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है।

एसपीसीए, प्रबंधन समिति, सदस्य का पूरा नाम

संपर्क जानकारी (फोन नंबर, पता और ईमेल आईडी)

तारीख एवं समय:

स्थान:

चौथी अनुसूची
[नियम 14(1)(ख)(ii)]
रोगी पशुओं के लिए रिकॉर्ड शीट

तारीख: _____ आईपीडी संख्या: _____

आगमन/प्रवेश तारीख: _____

पशुओं के बारे में इनके द्वारा दी गई जानकारी:

नाम: _____

संपर्क जानकारी: फोन नं. _____ ईमेल आईडी. _____

पता: _____

पशु का विवरण

प्रजाति _____ नस्ल _____

लिंग: नर / मादा

टैग संख्या _____

आयु _____ रंग: _____ वजन _____

विशिष्ट विशेषताएं: _____

समग्र स्वास्थ्य स्थिति _____

उपचार प्रदान किया _____

[दैनिक उपचार रिकॉर्ड, दवा पर्चा इस फॉर्म के साथ संलग्न किए जा सकते हैं]

प्रदत्त अन्य दवाओं की जानकारी तारीख सहित (उपस्थित पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं) _____

अंतिम टिप्पणियाँ _____

संपत्ति पशुओं के लिए रिकॉर्ड शीट:

टैग संख्या _____

संदर्भित पुलिस स्टेशन का नाम _____

प्राथमिकी संख्या _____

जांच अधिकारी का दूरभाष संख्या _____

इन्फर्मरी में के द्वारा लाया गया (वाहन संख्या और ड्राइवर का नाम) _____

रिलीज की तारीख और स्थान _____

(मृत्यु के मामले में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें)

क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर संबंधित पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

तारीख :

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2023

G.S.R. 527.—In exercise of the powers conferred by Section 37 and sub-sections (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government has decided to amend the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001, in supersession of the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001, published vide notification S.O.271 (E) by the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment number in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) dated the 26th March, 2001 except as respect of things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government is proposing to publish draft rules for public comments within thirty days from the date of publication of this draft rules in the Gazette of India;

Any Person desiring to make any suggestions or objections in respect of the this draft rules may forward the same for the consideration of the Central Government, with the period specified above to the Joint Secretary (Animal Welfare), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Room No. 245, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001.

1. Title and extent.—(1) These rules may be called the Society for Prevention of Cruelty to Animals Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

- (a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
- (b) “Animal Welfare Organisation” means an organisation working for welfare of animals which is registered under the Societies Registration Act of 1860 (21 of 1860) or any corresponding law for the time being in force and which is recognized by the Animal Welfare Board of India as per the extant policy of the Board;;
- (c) “Board” means the Animal Welfare Board of India established under Section 4 and as reconstituted from time to time under section 5A of this Act.
- (d) “Case property animal” means any animal seized under the provisions of this Act or the Rules made thereunder
- (e) “Infirmary” means an area or institution used as a place of treatment, care and upkeep of homeless and/or case property animals, duly notified by the concern State Government or Union Territory under Section 35(1) of this Act.

- (f) “Jurisdictional Veterinary Officer”: means veterinarian employed by the state government or central government in the area who holds a degree from a recognized veterinary college and is registered with the State Veterinary Council or Veterinary Council of India.
- (g) “Local Authority” means local authority as defined under section 2 (e) of the Act.
- (h) “SPCA” means Society for Prevention of Cruelty to Animals established in any district duly notified by the State Government in official gazette. And shall include the existing SPCA established and functioning under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001;
- (i) “State Board” means the State Animal Welfare Board constituted for the purpose prevention of cruelty to animals which is duly notified by the State Government in official gazette;

3. Establishment of Society for Prevention of Cruelty to Animals.— Each State Government shall, by notification in official gazette, establish a Society for Prevention of Cruelty to Animals for every district in the state within six months from the date of commencement of these Rules, unless such a Society has already been established under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules 2001. The Societies notified under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules 2001 shall be governed in their conduct by these Rules.

Provided that, the District Magistrate or District Collector shall cause the SPCA to be registered under the Societies Registration Act, 1860, and the society shall operate in perpetuity.

Provided that the State Government shall ensure that any non-government organisation operating in the name of ‘Society for Prevention of Cruelty to Animals’ in any District of the State shall made necessary changes in its name within sixty days of notification of these Rules.

4. By-laws of the SPCA.—

- (1) The SPCA shall adopt the Model By-laws published by the Board from time to time. The SPCA may also include additional by-laws as it may think fit for the administration of its affair and carrying out its functions.
- (2) The by-laws of all District SPCA in each State shall be uploaded on the website of the relevant State Board or in the website of the Animal Husbandry Department of the concerned state.

5. Constitution of the Management Committee of the Society for Prevention of Cruelty to Animals.—

- (1) The Management Committee of the Society shall have the following members:
- (a) Chairperson – Deputy Commissioner or District Magistrate or District Collector, ex officio;
- (b) Vice Chairperson - Superintendent of Police or Commissioner of Police, ex officio;
- (c) Secretary and Nodal Officer - Chief Veterinary Officer of the District or District Animal Husbandry Officer or any district in charge of animal husbandry department or whatever name called, ex officio;
- (d) Member - Regional Officer, State Pollution Control Board, ex officio;
- (e) Member - Designated Officer Food Safety, ex officio;
- (f) Member - Representative of the District Forest Department
- (g) Member - Representative of the Urban Local body of the District headquarters
- (h) Member - Representative of the District Panchayat
- (i) Member - Representative of the State Board
- (j) Member - District Prosecution Officer
- (k) Member - Two persons representing Animal Welfare Organisations working for the welfare of companion animals to be nominated by the State Government or the local Authority of the District.
- (l) Member - Two persons representing Animal Welfare Organisations working for the welfare of large animals to be nominated by the State Government or the local Authority of the District.
- (m) Member - Three eminent persons engaged in animal welfare in the district to be nominated by the State Government or the local authority of the District.

(2) The Board shall have the discretion to nominate a member to the management committee of any SPCA, if it so desires. The reason for the same may be recorded in writing.

(3) Every District having international borders shall seek one nomination for the SPCA from the paramilitary force or Border Security Force or any other person from Ministry of Home Affairs deployed at the Border.

6. Term of the Management Committee of the SPCA.—The term of the non-government members of the Management Committee of SPCA shall be three years from the date of its notification. The State Government or the local authority of the district shall make fresh nominations for the non-government members within thirty days of the expiry of their term.

7. Sub-committees of the SPCA.—

(1) The Management Committee may constitute as many sub-committees as it may think fit for discharging the functions of the SPCA.

(2) A sub-committee may consist of the members of the Management Committee or any other persons nominated by the Chairperson.

8. Membership of the SPCA (General Body).—

(1) Any person desirous of becoming a member of the General Body of the SPCA shall make an application to the Secretary of the SPCA in the format provided in the *First Schedule*. The Secretary shall, subject the applications to a police verification, present them before the Chairperson for consideration within sixty days of receipt of application.

(2) Any animal welfare organisation operating in the District may seek membership of the SPCA in the format provided in the *Second Schedule*.

(3) The Members of the General Body may volunteer assistance to any activity of the SPCA, including but not limited to maintenance of the infirmary, management of SPCA helpline number, or any other such activity identified by the Secretary.

9. Officer and employees of SPCA: The State Government may appoint officers and employees as it may think necessary for the functioning of the SPCA.

10. Establishment of infirmaries in every district.—

(1) The Chairperson of the Society, in consultation with the Management Committee, shall identify the premises for setting of an Infirmary (ies) where the treatment and care of sick or injured animals and up-keeping and maintenance of the abandoned or old or stray or case property animals of the district.

(2) Thereafter, the proposal of notification of such infirmary (ies) shall be submitted to the State Government. The State Government shall notify the infirmary within sixty days of receipt of such proposal.

(3) The State Government shall allocate budget for establishment, administration and improvement of infrastructure and operation of the infirmary (ies).

(4) Infirmary shall have sheds for large animals, kennels, aviaries and other species-appropriate housing space for homeless animals and case property animals.

(5) The Infirmaries shall have enclosures for injured or diseased animals.

(6) The Society may also appoint an animal welfare organisation for feeding & care of animals and maintaining sanitation of the infirmary premises or may run such infirmaries out of their own resources for which the society shall be liable to arrange their own logistical requirements.

(7) All police stations in the District shall be directed to bring animals seized under this Act, to the infirmary and they shall be kept in the infirmary till further orders of the judicial Magistrate. The Record of all the case property animals in the Infirmary shall be maintained by the SPCA

(8) In case there is shortage of space at the infirmary run by the SPCA, the animals may be taken to an animal welfare organisation, gaushala, or pinjrapole as the case may be.

11. Functions of District Society for Prevention of Cruelty to Animals.—The Management Committee of the SPCA shall perform the following functions and any other functions delegated to it by the State Board or the Board:

- (a) To regularly report to law enforcement agencies or to any other appropriate authority as the case may be, any violations of the provisions of this Act or Rules thereunder or cruelty to animals punishable under any other law in force.
- (b) To aid and assist the law enforcement agencies in enforcement of the Act, and the Rules framed thereunder, and to support effective prosecution of cases of animal cruelty.
- (c) To aid and assist State Board and the Board in the discharge of their duties under the Act, and the Rules framed thereunder.
- (d) To promote, coordinate and cooperate with the work of animal welfare organisations operating in the District.
- (e) To establish a 24x7 helpline number for receiving reports or information regarding cruelty to animals, or reporting any animal in distress due to injury or disease; such a helpline shall be given wide publicity. All calls to such a helpline shall be received, and record of the same shall be maintained by the SPCA.
- (f) To operate an Ambulance Service for sick, injured or diseased homeless animals.
- (g) To aid and assist the District Disaster Management Authority in disaster preparedness; to conduct periodical training exercises and drills with the personnel of the Animal Husbandry Department and assist in rescue and relief operations for animals during disaster situations.
- (h) To aid and assist the implementation of Animal Birth Control programs in the District.
- (i) To organise workshops, seminars and awareness programs for promotion of welfare of animals in educational institutions in the District.
- (j) To conduct sensitization and capacity building workshops for Government departments and local authorities functioning in the District.
- (k) To create awareness regarding animal welfare in the District through Public Outreach programme including, hoardings, posters and any other means of public outreach.
- (l) To promote & encourage formation of public opinion towards humane treatment of animals through welfare activities such as provision of water bowls for street animals and birds; creation of designated feeding zones for street animals, promotion of adoption of rescued companion animals, formation of Karuna Clubs or Kindness Clubs in educational institutions and any other such activities as may be decided by the Management Committee.
- (m) To aid and assist in the operation and management of the infirmary or infirmaries or pinjrapole or animal shelter or Gaushala established in the District.
- (n) To collate the number of cases registered in police stations of the District regarding animal cruelty and update the status of each in the SPCA records.

12. Meetings of the District Society for Prevention of Cruelty to Animals.—

- (1) The Management Committee of the SPCA shall meet at least once in three months, with a minimum quorum of nine Committee Members.
- (2) The Members of the SPCA may submit agenda points to the Secretary for consideration in the upcoming meeting of the SPCA. The finalised agenda for each meeting must be circulated at least seven days in advance, to all the members of the Management Committee, and the Minutes of Meeting shall be duly recorded and circulated.
- (3) At each meeting, an action-taken report for the decisions taken in the previous meeting shall be presented by the Secretary.
- (4) The Annual Report alongwith the Audited Accounts shall be presented at the Annual General Meeting by the Secretary.
- (5) The Chairperson may invite appropriate authorities including but not limited to the Road Transport Officer, representatives of any local authority, as and when required for any SPCA meeting.
- (6) Any Member of the Management Committee may propose an emergency meeting in the format provided in the *Third Schedule*; the Chairperson shall consider such a proposal within seven days of receipt.

Provided that, if an emergency meeting cannot be called, the Chairperson shall grant personal hearing to the Management Committee Member.

13. Funds for the Society for Prevention of Cruelty to Animals.—

- (1) The SPCA may receive funds in the bank account of the Society from the following sources:
- (a) Grant-in-aid from the State Board or Animal Welfare Board of India;
 - (b) Grant-in-aid from the District Administration;
 - (c) Membership fees for membership to the General Body of SPCA or any other fees
 - (d) Contributions, donations, bequests, gifts and the likes made to it by any institution, association, Corporate or individual.
- (2) The accounts of the Society must be subjected to annual audit by a chartered accountant or any other body authorised by law. Such an audited report, along with the profit and loss accounts must be published in the Annual Report for its presentation at the Annual General Meeting.

14. Records to be maintained by the Secretary.—

- (1) The following records must be maintained by the Secretary of the SPCA:
- (a) With regard to activities of the SPCA-
 - (i) Log book for the SPCA helpline number
 - (ii) Books of Accounts and audit reports
 - (iii) Ambulance log book
 - (iv) Meeting agenda and minutes
 - (v) Action taken reports
 - (vi) Annual Reports
 - (b) With regard to the infirmary:
 - (i) Daily Inventory record of the number of animals in the infirmary, categorised by species;
 - (ii) In-patient register of all animals in the infirmary, in the format provided in the *Fourth Schedule*
 - (iii) Release record of all animals released/discharged from the infirmary
 - (iv) Record of death certificate, post mortem certificate, veterinary record as the case may be for each animal in the infirmary
 - (v) Feed stock book
 - (vi) Medicine Stock Book
 - (vii) General Stock Book
 - (viii) Volunteer attendance record
- (2) The Secretary shall submit the Annual Report of the SPCA to the State Board and provide any additional information as may be sought by the State Board from time to time. The annual report of each SPCA in the State shall be uploaded on the website of the State Board or the website of the Department of Animal Husbandry of the respective state.

15. Regulation of Society for Prevention of Cruelty to Animals—

- (1) The State Board shall review the annual report and audited accounts of the SPCA and may give directions for improvement to the Management Committee in the interest of efficient discharge of the SPCA's functions.
- (2) The Board may seek annual reports and audited accounts of any SPCA and give directions for improvement or seek additional information regarding the activities of the SPCA.
- (3) A complaint regarding the functioning of the SPCA may be made to the State Board; after providing an opportunity of hearing to the complainant and the SPCA within 30 days of receipt of the complaint, the State Board shall dispose of the complaint with necessary directions.
- (4) An appeal against the directions of the State Board may be made to the Board; the Board shall provide an opportunity for personal hearing to the complainant as well as the Secretary of the SPCA. Thereafter, a speaking order shall be issued by the Secretary of the Board.

[F. No. V-11/12/2020-Admin-6]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

*First Schedule**[Rule 8(1)]***Application for Membership to the General Body of SPCA**

District

To,

Secretary

Society of Prevention of Cruelty to Animals

District

Subject: Application for the membership to the General Body of SPCA,.....(Name of the District SPCA)

Full Name:

.....

Father's/Mother's Name:

Date of Birth:

Occupation:

Address:

.....

Phone Number:

.....

Email ID:

.....

Photo ID & Address Proof: ...[PAN Card] ...[PASSPORT]...[Aadhar Card]...[Driving Licence]

*(Any two of the above documents shall be submitted)***In case the applicant is a minor [under the age of 18 years], the details and contact information of the parent or guardian must also be provided.**

Reasons for applying for this membership:

.....
.....
.....

Whether applicant is a member/volunteer of any Animal Welfare Organisation: Yes/No

If yes, provide the name, address and contact number of the Organisation:

.....
.....

Declaration:

I hereby declare that-

1. The information provided by me is accurate and true to the best of my knowledge.
2. No FIR or non-cognizable report is pending against me, nor am I convicted for any offence under this Act, the Rules thereunder, or any law in force for the welfare, protection or conservation of animals.
3. I will cooperate with the police verification subsequent to the submission of this application.
4. I am not involved directly or indirectly with any trade, profession or occupation concerning the trade, transport, slaughter or any other commercial use of animals and/or their body parts.

- 5. I do not receive any income, benefit, favour either monetary or otherwise from any individual or institution or business involved in the commercial use of animals and/or their body parts.
- 6. I am of sound mind and make this application of my own volition.

.....
Signature & FULL NAME

Date:

Place:

Second Schedule

[Rule 8(2)]

Application for Membership to the General Body of SPCA

District

To,

Secretary

Society of Prevention of Cruelty to Animals

District

Subject: Application for the membership of animal welfare organisation to the General Body of SPCA.....
(Name of the District SPCA).

Name of the Organisation:

.....

Name of the authorised signatory:

.....

(A copy of authorisation letter/Board resolution shall be annexed to this application)

Registration number & date of registration:

.....

Activities undertaken by the Organisation:

.....

.....

Registered address:

.....

Address of shelter/sanctuary operated by the applicant organisation:

.....

Phone Number/s:

.....

Email ID:

.....

Proof of Registration: ...[Trust Deed]...[Registration Certificate]..[PAN Card]

Photo ID & Address Proof of authorised signatory: ...[PAN Card] ...[PASSPORT]...[Aadhar Card]...[Driving Licence]

(Any two of the above documents shall be submitted)

Reasons for applying for this membership:

.....
.....
.....

Whether applicant is recognised by the Animal Welfare Board of India or the State Animal Welfare Board: Yes/No

If yes, a copy of the recognition certificate shall be annexed to this application.

Declaration:

I hereby declare that-

1. I am the authorised signatory of the applicant Organisation.
2. No FIR or non-cognizable report is pending against the applicant Organisation or any of its Board members for any offence under this Act, the Rules thereunder, or any law in force for the welfare, protection or conservation of animals
3. The applicant Organisation will cooperate with the police verification subsequent to the submission of this application
4. The applicant Organisation or any of its Board members are not involved directly or indirectly with any trade, profession or occupation concerning the trade, transport, slaughter or any other commercial use of animals and/or their body parts.
5. The applicant Organisation or any of its Board members do not receive any income, benefit, favour either monetary or otherwise from any individual or institution or business involved in the commercial use of animals and/or their body parts.

.....
Signature & FULL NAME of authorised signatory

Date:

Place:

Third Schedule
[Rule 12(6)]
Proposal for Emergency Meeting

To
Secretary
Society for Prevention of Cruelty to Animals
District _____

Whereas, an emergency meeting of the Management Committee of the Society for Prevention of Cruelty to Animals, of the District _____ is proposed by the undersigned for deliberation and resolution for the following urgent issues:

The relevant documents, if any, supporting the above agenda are enclosed herewith. I request for the meeting to be called urgently for enabling efficient discharge of the functions of the SPCA.

In lieu of an emergency meeting, a personal hearing with the Chairperson may be granted for resolution of the above-mentioned issues.

FULL NAME OF MEMBER, MANAGEMENT COMMITTEE, SPCA

Contact information (Ph. No., Address & Email ID)

Date & time:

Place:

Fourth Schedule

[Rule 14(1)(b)(ii)]

Record Sheet for In-patient animals

Date: _____ IPD No. : _____

Arrival/admission date: _____

Information regarding animal provided by:

Name: _____

Contact information: Ph.No. _____ Email ID. _____

Address: _____

Details of the animal

Species _____ Breed _____

Sex: male / female

Tag No. _____

Age _____ Colour: _____ Weight _____

Distinctive features: _____

Overall Health Condition _____

Treatment provided _____

[Daily treatment record, prescriptions may be attached to this form]

Other medication administered with date (signature of attending veterinary practitioner required) _____

Final
comments _____

Record Sheet for Case property animals

Tag no. _____

Name of the reference Police Station _____

FIR number _____

Ph no. of Investigating Officer _____

Brought to the infirmary by (vehicle number and name of driver) _____

Date and place of release _____

(In case of death, attach Post Mortem report/Death Certificate)

Signature of jurisdictional veterinary officer /Concern Police officer

Signature of Infirmary

Date: